सिंडिकेट बैंक Syndicate Bank

अंतर आंतरिक कार्यालय ज्ञापन / INTER/INTRA OFFICE MEMORANDUM

|  |  |
| --- | --- |
| प्रेषक From:क्षेत्रीय प्रबंधक The Regional Managerक्षेत्रीय कार्यालय Regional Office, जयपुर/Jaipur  | सेवा में/To,शाखा प्रबन्धक/ The Branch Managerशाखा/BRANCH  |

**संदर्भ सं. Ref No: ROJ/ दिनांक/Date:**

**विषय/Sub: निम्नलिखित विषय पर क्लियरेंस देने बाबत/Clearance in the following Matter:**

**ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु/For Availing Credit Facility**

* **श्री/श्रीमति/सुश्री/Sri/Smt./Ms. :**
* **कर्मचारी संख्या/ Emp. No. :**
* **पदनाम/ Designation :**
* **शाखा/ कार्यालय/Branch/Office :**

उपर्युक्त विषय पर हम आपका पत्र संख्या .......................दिनांकित ............................ का संदर्भ लेते हैं।

We refer to your letter ref. No. ................................. dated .............................. in connection with the above subject.

भवदीय/Yours Faithfully,

प्रबन्धक(एचआर) / Manager (HR)

**सिंडिकेट बैंक Syndicate Bank**

क्षेत्रीय कार्यालय Regional Office,

 जयपुर/Jaipur

**कार्यालय नोट / OFFICE NOTE**

**संदर्भ सं.Ref No: ROJ/ दिनांक/Date:**

**विषय/Sub: निम्नलिखित विषय पर क्लियरेंस देने बाबत/Clearance in the following Matter:**

**ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु/For Availing Credit Facility**

* **श्री/श्रीमति/सुश्री/Sri/Smt./Ms. :**
* **कर्मचारी संख्या/ Emp. No. :**
* **पदनाम/ Designation :**
* **शाखा/ कार्यालय/Branch/Office :**

उपर्युक्त विषय पर हमें शाखा के पत्र संख्या..............................दिनांकित ...........................के संदर्भ में शाखा द्वारा उक्त कर्मचारी के लिए स्टाफ योजना के तहत ऋण सुविधा का लाभ उठाने हेतु आईआर क्लियरेंस का निवेदन किया गया है। शाखा ने पुष्टि की है कि कर्मचारी ने कोई अनियमितता नहीं की है और कोई अप्रिय घटना नहीं की है जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शाखा ने यह भी पुष्टि की है कि कर्मचारी के खिलाफ कोई सतर्कता जांच या आरोप पत्र लंबित नहीं है।

With reference to the above subject and Branch letter ref. No. .............................. dated ...........................Branch has requested to provide IR clearance to the captioned employee for availing of loan facility under Staff Scheme. Branch has confirmed that the employee has not committed any irregularity and there is no untoward incident which can be attributed to him. Branch has also confirmed that there is no vigilance inquiry or charge sheet pending against the employee.

शाखा में कार्यरत कर्मचारी को आईआर **क्लियरेंस** जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, मानव संसाधन अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय है। RO HR cell is the competent authority to provide IR clearance to workmen employees working at Branches. (Cir 17/2018)

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारी को स्टाफ ऋण योजना के तहत ऋण सुविधा का लाभ उठाने हेतु आईआर **क्लियरेंस** जारी कर सकते है।

So in view of the above, we may issue IR clearance to the captioned employee for availment of Loan facility under staff loan scheme.

 वरि. प्रबंधक (एचआर) उप क्षेत्रीय प्रबंधक

Sr. Manager (HR) Dy. Regional Manager

क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेशार्थ प्रस्तुत/Put up to Regional Manager for orders: